

फर्क अहकाम

नाम न्यायालय : 5500  
 केस संख्या : 13/2022 प्रो पत्र पछे (अर्ध)

दफतरी बनाव 21/12/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>द्वितीय नंबर अर्ध 31/12/22                      नं 793 व 803, 906 व                      906, 915, 916 नंबर को                      न्यायालय पंजीयत नद्वारा                      कोषधारी वर पूर्व के                      हुए समाधान के अनुसार                      पक्षी कोषधारण में शीघ्र                      सुनवाई में अर्ध प्रदान                      करने हुए पक्षधारी को                      जान के अर्ध नद्वारा                      कोषधारी को कोष धार                      को पंजीयत नद्वारा                      को पक्षधारी निमित्त अर्ध                      कोष धार अर्ध कोष धार                      कोष धार</p> <p>30/12/22 पक्षधारी आज अर्ध को                      कोष से जाले अर्ध अर्ध                      152 अर्ध को अर्ध-पत्र                      अर्ध अर्ध पत्र पक्षधारी</p>

उपखण्ड अधिकारी  
 कोषधारी (जयपुर)

क्रमा संख्या / वर्ष  
 दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

# फर्द अहकाम

उपरखण्ड- अधिकारी कोटपूतली

वनाम राजेंद्र साका

प्रति पत्र पत्र (20)

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

वसुधैव कुटुम्बकम् की गारुडी अर्थान्.  
 पत्र पर अधिकार प्राप्त  
 को गुना अन्त एव फर्द  
 कली पर उपलब्ध। विशेष  
 व अन्तरेण। किना/निर्णय  
 दिनांक: 16.12.2022 में  
 क्र. नं. 906 से 909 की  
 क्रमांक 906 से 906 अर्थान्  
 से लिपिबद्ध गुरी से  
 लिखा जाय। जिसके दुर्लभ  
 शिवा जाग नामसंगत ही  
 अन्तः प्रथम वा पार्थिव पत्र  
 152 CPC स्वीकार किया जाता  
 है। निर्णय दिनांक 16.12.2022  
 के 906 से 909 अर्थान् अर्थान्  
 गता है। तदनुसार निर्णय  
 के पत्र गये पत्रावली अर्थान्  
 वनाम है।

उपरखण्ड अधिकारी  
 कोटपूतली (अर्थान्)